

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 674/2021

निर्णय दिनांक :- 23/11/2021

उनवानी दावा :

..... बनाम तहसीलदार.....

उपस्थिति :-

.....

तहसीलदार देवली/दूरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय/ आदेश प्रशासन गांव के संग 2021 कैम्प 20/11/21 में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार देवली को अपना नाम वाके ग्राम 20/11/21 जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 4 में दर्ज कृष्ण पुत्र देवी के स्थान पर कृष्ण पुत्र देवी दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया।

तहसीलदार देवली ने पटवार हल्का 20/11/21 व भू0अ0नि0 20/11/21 की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिंषा करते हुए पत्रावली उपखण्ड अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को पेश की गई। पत्रावली कैम्प में दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार देवली से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को वाके ग्राम 20/11/21 जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 4 में दर्ज कृष्ण पुत्र देवी के स्थान पर कृष्ण पुत्र देवी दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुल न्यायालय कैम्प 20/11/21 में सुनाया गया।

.....
उपखण्ड अधिकारी
देवली